

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान-2008) के नियम 19 एवं पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 14 व 15 के अनुसार प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक (मा0वि0) को राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी-I/II/III) निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है :-

क्र० सं०	नाम अधिकारी व पदस्थापन स्थान सर्वश्री/श्रीमती	पद	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यगृहण तिथि	10/20/30/ वर्ष पूर्ण करने की तिथि		प्रथम/द्वितीय व तृतीय एसीपी देय तिथि	एसीपी दिये जाने पर देय ग्रेड-पे/ पे-लेवल
1	श्री जुगल किशोर चतुर्वेदी, रामावि, गुबरेडा जिला करौली	से०नि० प्रधानाध्यापक	14-08-49	18-12-76	30 YEAR	17-12-06	18-12-06	5400
2	श्री छगनलाल भाटी, कार्या, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, प०स० बापणी जिला जोधपुर	से०नि० सीबीईओ	25-06-59	01-02-85	30 YEAR	31-01-15	01-02-15	6800
3	श्री मदन गोपाल व्यास, राउमावि, ईरास, प०स० आसीन्द जिला भीलवाड़ा	से०नि० प्रधानाचार्य	01-01-61	02-07-90	20 AND 30 YEAR	01-07-2010 & 01-07-2020	02-07-2010 & 02-07-2020	4800 & L-17

नोट :-

- 1 एसीपी स्वीकृत किए जाने पर तीन प्रतिशत वेतनवृद्धि वर्तमान मूल वेतन पर देय होगी तथा ग्रेड-पे का अन्तर दिया जायेगा। वेतन निर्धारण नियन्त्रण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। यदि पदोन्नति पर 26-ए का लाभ नहीं दिया गया है तो उक्त लाभ देय होगा।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/संस्था/ए-3/एसीपी/2020/

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक : 20/07/2021

1. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय-माध्यमिक शिक्षा।
2. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
3. संबंधित संस्था प्रधान प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक।
4. संबंधित अधिकारी।
5. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर